(ख) और (ग) . अभियुक्त महिला गिरफ्तार कर ली गई थी और उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था । उससे पूछताछ करने के परिणामस्वरूप और देसी पिस्तौलें बरामद हुई । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 13 मामले दर्ज किये गये हैं । आग जांच पड़ताल की जा रही है ।

"हरिजन नेता से दुर्व्यवहार का आरोप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8118. श्री अम्बेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1975 के नवभारत टाइम्स में "हरिजन नेता से दुर्व्यवहार का आरोप " शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना के पूर तथ्य क्या हैं और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

जेल प्रशासन के अध्ययन के लिये कार्यकारी दल

8119. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री आर० वी० बड़े :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल प्रशासन और जेलों की हालत के अध्ययन के लिए 1972 में नियुक्त कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1973 में प्रस्तुत किया था ;

(ख) तत्सम्बन्धी निदेश पद और सिफारिशें क्या है और उनमें से किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है,

(ग) बाकी सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या जेलों में बिगड़ती हालत के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय समिति से उनकी फिर से जांच कराई जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) प्रतिवेदन 5-12-1973 को प्रस्तुत किया गया था ।

(ख) और (ग) . तत्सम्बन्धी निदेशपद तथा मुख्य सिफारिशें प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद भवन की लाईब्रेरी मे 28-10-74 को दी जा चुकी हैं ।

प्रतिवेदन अभी विभिन्न राज्य सरकारों के विचाराधीन है । 'जेल' राज्य का विषय होने के कारण सिफारिशों को स्वीकार करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकारो का कार्य है । भारत सरकार एक समन्वयकारी ऐजेन्सी के रूप में ऐसे उपाय करेगी जो प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्यों द्वारा वांछित होंगे ।

(घ) जेल प्रशासन की समस्याऐं तथा कमियां विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा अतीत मे नियुक्त की गई विभिन्न समितियों द्वारा अच्छी तरह समझ ली गई थी और आर्थिक कठिनाईयों के कारण शीघ्रगामी आधुनिकीकरण का कार्यक्रम अभी तक कार्यान्वित नही किया जा सका । इस संदर्भ में एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा आगे जांच कराया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।